

9

| | | |
|-------------|---|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 11 / 2019 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| 30.01.19 | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह, पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.11.18 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पाली से जोधपुर के फोरलेन बनाते समय गावं कांकाणी तहसील लूणी में खसरा नम्बर 602 व 603 में जमीन अवाप्ति के समय दिये गये मुआवजों की सूचित मय व्यक्ति के नाम सहित प्रमाणित सूचि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। चूंकि चाही गई सूचना अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर कार्यालय से संबंधित है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) व अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |